न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय), कोटा
पीठासीन अधिकारी– भावना शर्मा, आर०ए०एस०

प्रकरण संख्या : 16 / 18

रामलाल आत्मज नारायण, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम भंवरिया, तहसील लाडपुरा, कोटा
–(प्रार्थी)

बनाम

कंवरलाल पुत्र शंकर, जाति माली, निवासी ग्राम भंवरिया, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
–(अप्रार्थी)

प्रार्थना पत्र धारा 212 निषेधाज्ञा

उपस्थिति : श्री मुकुट बिहारी पारेता, प्रार्थी अभिभाषक
श्री श्यामलाल सुमन, अप्रार्थी अभिभाषक

दिनांक : 13.08.2018

निर्णय

प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के स्वयं के खाते व कब्जे काश्त की आराजी खाता संख्या नया 74 पुराना 68 की खसरा नम्बर 82 की 1.05 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम वाके ग्राम कंवरपुरा, पटवार हल्का भंवरिया, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा में स्थित है जिसका प्रार्थी खातेदार दर्ज रिकार्ड है और बतौर खातेदार आराजी पर काबिज काश्त चला आ रहा है।

प्रतिपक्षी पडोसी खातेदार है, जिसके खाते की आराजी खसरा नम्बर 38, 40, 41, 71 की भूमियां प्रार्थी के खाते की भूमि के पास ही स्थित है और प्रतिपक्षी का प्रार्थी के खाते की उक्त आराजी से कोई सम्बन्ध किसी भी प्रकार का नहीं है, किन्तु अप्रार्थी ताकतवर एवं प्रभावशाली व्यक्ति है, और प्रार्थी के खाते की उक्त आराजी पर बलपूर्वक कब्जा करने का प्रयास करता है और इस हेतु आये दिन प्रार्थी के कब्जे कश्त में मजाहमत व मदाखलत करता है तथा मना करने पर झगड़ा फंसाद पर उतारू होता है। तथा कहता है, कि वह प्रार्थी के उक्त खाते की भूमि में होकर अपनी भूमि का रास्ता बनाएंगा, जब कि उसकी भूमि में आने जाने का रास्ता पूर्व से ही मौकै पर दूसरी तरफ से विद्यमान चला आ रहा है, और उसे प्रार्थी के खेत मे से होकर रास्ता निकालने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है।

अप्रार्थी ताकतवर व्यक्ति है, और इस प्रकार की कोशिश पूर्व में भी कर चुका है, तथा दिनांक 9.08.2018 को भी अप्रार्थी अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर प्रार्थी की उक्त खसरा नम्बर 82 की भूमि में आया, और प्रार्थी की भूमि जिसके मेड हो रही है, तथा अन्दर कुंआ भी खुदा हुआ है, वहां मेड तोडने का प्रयास किया, जिस पर प्रार्थी ने उसे ऐसा करने से मना किया, तो वह लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू हुआ और कहने लगा कि वह तो उक्त आराजी मे से होकर रास्ता बनाकर रहेगा तथा प्रार्थी की उक्त आराजी पर भी ताकत के बल पर कब्जा करेगा तथा यदि प्रार्थी ने रोकने का प्रयास किया तो वह प्रार्थी को जान से मार कर खत्म कर देगा,

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
कोटा (राज.)

तथा प्रार्थी की कोई भी बात मानने से स्पष्ट इन्कार कर दिया, जिस पर बमुश्किल उसे समझा बुझा कर वापस भेजा गया किन्तु फिर भी जाते हुये वह धमकी देकर गया कि वह फिर आयेगा और उक्त भूमि पर कब्जा करके ही रहेगा। उक्त घटना के बाद से प्रार्थी के मन में अपने खेत की आराजी से बेदखल होने का भय उत्पन्न हो गया है, तथा अप्रार्थी के उक्त अवैधानिक कृत्य को रोकने हेतु प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हो गया है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी के पक्ष में, अप्रार्थी के विरूद्ध ताफैसला वाद इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे, कि वह प्रार्थी के खाते की आराजी खसरा नम्बर 82 की 1.05 हैक्टर वाके ग्राम कंवरपुरा तहसील लाडपुरा पर प्रार्थी के शान्तिपूर्ण चले आ रहे कब्जे काश्त मैं ताकत के बल पर किसी भी प्रकार की कोई मजाहमत व मदाखलत नहीं करे और न खेत के चारो और बनी मैड को तोडफोड व क्षतिग्रस्त करे, और न ही वहां पर आने जाने का कोई नया रास्ता कायम करने का प्रयास ही करें, और न प्रार्थी को बेदखल कर स्वयं आराजी या किसी भाग पर कब्जा करें। ऐसा कार्य न तो अप्रार्थी स्वयं करे , और न अपने प्रतिनिधियों, कर्मचारियों एवे एजेन्टो से करावे। वाद व्यय प्रार्थी को अप्रार्थी से दिलाया जावे तथा अन्य सहायता जो न्यायोचित हो वह प्रार्थी को प्रदान फरमाई जावे। प्रार्थी वकील द्वारा अपने कथन के समर्थन में विवादित आराजीयात की नकल जमाबन्दी और मौका नक्शा पेश किया गया है।

अप्रार्थी वकील द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया है कि प्रतिपक्षी के खसरा नम्बर 38, 40, 41, 71 की भूमियां होना स्वीकार है जिसका रास्ता प्रतिपक्षी की भूमियों के खसरा नम्बर 71 में जाने का खसरा नम्बर 82 व 83 की भूमि की मेढ पर होकर जाता है। प्रतिपक्षी शान्तिप्रिय नागरिक है। प्रार्थी के खसरा नम्बर 82 व खसरा नम्बर 83 के बीच में प्रतिपक्षी की भूमि खसरा नम्बर 71 पर मेढ से रास्ता था, उस मेढ को हांक लिया और अपने खसरा नम्बर 82 व 83 में मिला दिया। मेढ का रास्ता बन्द कर दिया। अन्य कोई रास्ता प्रतिपक्षी के खसरा नम्बर 71 की भूमि पर जाने का नहीं है। विकल्प में भी कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। इससे प्रतिपक्षी अपनी भूमियों पर काश्त करने में असमर्थ हो रहा है तथा मेढ पर निकला हुआ रास्ता प्रार्थी के बन्द करने से भूमियां अप्रार्थी की पडत रहने की संभावना पैदा हो गई है। प्रार्थी ने मिथ्या आरोप लगाकर वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो बेबुनियाद है, खारिज होने योग्य है। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे। प्रतिपक्षी को धारा 35ए के तहत विशेष हजा प्रदान किया जावे। अप्रार्थी वकील द्वारा अपने कथन के समर्थन में स्वयं की आराजीयात की नकल जमाबन्दी, हल्का पटवारी की मौका रिपोर्ट दिनांक 12.06.2018, मौका नक्शा एवं इस विवाद के सम्बन्ध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा में विचाराधीन 251 (ए) आर.टी.एक्ट प्रार्थना पत्र की प्रति पेश की गई है।

प्रकरण के बहस में आने पर उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस प्रार्थना पत्र 212 आरटीए सुनी गई। प्रार्थी वकील द्वारा अपनी बहस में वादपत्र के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी खसरा नम्बर 82 का रिकोर्डेड खातेदार है। अप्रार्थी अपने खसरा नम्बर 71 पर जाने के लिये जबरन रास्ता बनाने पर आमादा है। अतः प्रकरण के मूल वाद के निस्तारण तक के लिये अप्रार्थी के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान की जावे। अप्रार्थी अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि पूर्व में वो प्रार्थी की आराजी के किनारे पर बनी मेढ से आते जाते थे जिसे तोडकर प्रार्थी द्वारा अपनी आराजी में

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
कोटा (राज.)

मिला लिया है और अप्रार्थी का रास्ता बन्द कर दिया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए सव्यय खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्ष अभिभाषकगणों की बहस प्रार्थना पत्र के कथनों पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन किया जिससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 82 प्रार्थी के खाते दर्ज रेकार्ड है। इसकी पुष्टि प्रार्थी द्वारा पेश किये गये राजस्व अभिलेख तथा पटवारी रिपोर्ट दिनांक 12.06.2018 से हो रही है। प्रार्थी द्वारा अपना प्रकरण इस आधार पर पेश किया गया है कि अप्रार्थी उसके खेत में होकर अपने खेत तक का रास्ता बनाने पर आमादा है। इस प्रकार यह प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या प्रकरण है। अप्रार्थी का प्रार्थी के खेत में से होकर गुजरना तथा इस पर प्रार्थी द्वारा आपत्ति प्रकट करना, प्रार्थी का कब्जे काश्त होना सिद्ध करता है। इस प्रकार अभिलिखित आराजी पर प्रार्थी के कब्जे काश्त होने से सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है। चूंकि प्रार्थी विवादित आराजी का अभिलिखित खातेदार है, जिस में से होकर अप्रार्थी अपने खेत तक के लिये रास्ता बनाकर प्रार्थी को खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। इस प्रकार अप्रार्थी के इस प्रयास से प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होना भी प्रमाणित है। अतः उपरोक्त समस्त विवेचन से प्रस्तुत प्रकरण प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या केस होने, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 आरटीए स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के पक्ष में अप्रार्थी के विरूद्ध मूल वाद के निर्णय होने तक के लिये इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि अप्रार्थी ग्राम कंवरपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा के खसरा नम्बर 82 रकबा 1.05 हैक्टर के किसी भी भाग पर बलपूर्वक रास्ता बनाने, कब्जा करने का प्रयास नहीं करें, प्रार्थी को बेदखल करने का प्रयास नहीं करें, प्रार्थी के शान्तिपूर्ण कब्जेकाश्त में कोई मजाहमत व मदालखत नहीं कर विवादित आराजी को खुर्द बुर्द करने का प्रयास नहीं करें तथा मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 13.08.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(भावना शर्मा) R.A.S.
सहायक कलक्टर (मु.) एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट, कोटा